तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना उनवानी सुलतान बनाम महेन्द्र वगै0 वगै मु.सं. 89/2014	नम्बर व तारीख जो इस हुकम के में जारी हुए
04-09-2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव/ आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 24.09.2025 को पेश हो।	
24-09-2025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव /आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर असहमति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी के भाई स्व0 रामस्वरूप के वारिसान 1/8 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। जिनको उक्त विभाजन प्रस्ताव में कोई जमीन नही दी गयी। जबकि जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदारान के मध्य जमीन का विभाजन किया जाना था। प्रतिवादिया नं0 9 का ख0नं0 1393 में 1/3 हिस्सा ही है, जिसके अनुसार उसके हिस्से में मात्र 0.1333 है0 भूमि ही आती हैं जबकि विभाजन प्रस्ताव में उसे हिस्से से अधिक भूमि 0.2350 है0 भूमि ख0नं0 1393/1 के रूप में दी गयी हैं एवं 68/252 हिस्सा रास्ते में दी गयी भूमि ख0नं0 1393/2 रकबा 0.0442 है0 में भी दिया गया हैं, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में प्रदान किये गये आदेश के कतई विपरित हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतिवादीगण बीरबल पुत्र सुरजा, दिनेश पुत्र रिछपाल को विवादित भूमि में खातेदार नही होते हुए भी विभाजन प्रस्ताव में खातेदार बनाया गया हैं। अतः आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भेजा गया विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश के साथ पुनः प्रेषित करने का आदेश फरमाने की कृपा करें। वकील वादी की बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि वादी व उसके भाईयों को ख0नं0 1393 में विभाजन करते वक्त ख0नं0 1393/2 में भूमि दी गई हैं। ख0नं0 1393/2 रास्ते के लिये हैं जिसमें सभी खातेदारों की भूमि रास्ते के उपयोग व उपभोग के लिये रखी गई हैं। सभी खातेदारों का शामलाती खाता होने के कारण कब्जे के आधार पर विभाजन किया गया हैं। ख0नं0 1391 ग्राम सिरोही के संबंध में वाद उनवानी सुलतान बनाम बंशी प्रस्तुत किया गया उसमें भूमि ख0नं0 1391 भूमि ख0नं0 1393 की ऐवज में दी गई थी इसलिये विभाजन सही रूप से उनकी खातेदारी के हिसाब से किया गया हैं एवं हिस्से अनुसार रकबा दिया गया हैं। प्रतिवादी सं0 9 सुमित्रा देवी ने तीन विक्रय पत्रों दिनांकित 21.02.2000, 20.11.2001 व 03.10.2019 के जरिए कुल रकबा 0.2503 है0 खरीद किया गया हैं। जो भूमि रास्ते में गई हैं उसको विभाजन प्रस्ताव में बताया	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

गया हैं। सुमित्रा देनी ने जो भूमि ख0नं0 1393 व 1396 को खरीद की गई हैं उसको विभाजन प्रस्ताव में सही दर्शाया गया हैं। भूमि में सुमित्रा देवी की स्कूल बनी हुई हैं। भूमि ख0नं0 1393 को बीरबल पुत्र सुरजाराम काश्त करता था एवं भूमि ख0नं0 1391 को इन्द्राज काश्त करता था। ख0नं0 1393 व 1396 एक जगह ही हैं इसलिए दोनो भूमियों का एक ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं जो सही हैं। अतः आपति विभाजन प्रस्ताव खारिज कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव एवं आपत्ति विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त पर मौके पर कब्जा एवं रिकार्ड के आधार पर तैयार किया गया हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना